GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 2207
TO BE ANSWERED ON 08.03.2021

WORKING DURING HOLIDAYS IN KENDRIYA VIDYALAYAS

2207. SHRI NISITH PRAMANIK:

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether the employees of Kendriya Vidyalayas have been called to work during holidays vacation without any benefit like extra EL or compensatory leave;
(b) if so, the details thereof and action taken thereon;
(c) whether any financial assistance provided to employees for purchase of electronic devices or mobile connections data plan for teaching or reimbursement of bills;
(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;
(e) whether salary was deducted of teachers who were out of station but took regular online classes and if so, the details thereof;
(f) whether the complaints have been received in KVs regarding denial of Transport allowance, calling in school unofficially through phone and not allowing to sign attendance register, discrepencies or discretion in grant of TA;
(g) if so, the details thereof;
(h) whether the representations have been received from stakeholders regarding pending issues for resolution in Kendriya Vidyalaya ; and
(i) if so, the steps taken/being taken by the Government in this regard?

ANSWER

MINISTER OF EDUCATION
(SHRI RAMESH POKHRIYAL ‘NISHANK’)

(a) to (e) No, Sir.

(f) to (i) Transport Allowance is regulated as per extant orders issued by the Government of India from time to time, which are also applicable to Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS). KVS has informed that a few representations from teachers have been received, which have been disposed of. Instructions have also been issued by KVS in this regard.

*****

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2207

उत्तर देने की तारीख: 08.03.2021

केन्द्रीय विद्यालयों में छुट्टियों के दौरान कार्य

†2207. श्री निशीथ प्रामाणिक

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(一) क्या केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों को अतिरिक्त अर्जित अवकाश या प्रतिपूरक अवकाश जैसे बिना कोई लाभ प्रदान किए छुट्टियों के दौरान काम करने के लिए बुलाया गया है;

(二) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(三) क्या अध्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या मोबाइल कनेक्शन डेटा योजना की खरीद के लिए तथा बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए कर्मचारियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(四) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(五) क्या उन शिक्षकों का वेतन काटा गया जो कार्य स्थल से बाहर थे, लेकिन नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(六) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में यात्रा भत्ता न देने, फोन करके अनधिकारिक रूप से विद्यालय में बुलाने, हाजिरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं देने, यात्रा भत्ता देने में विसंगतियों या मनमानी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(七) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(八) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में समाधान के लिए लंबित मुद्दों के संबंध में हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(九) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ङ) जी, नहीं।

(च) से (झ) परिवहन भत्ता, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मौजूदा आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाता है, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) पर भी लागू होते हैं। केविसं ने सूचित किया है कि शिक्षकों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका निपटान कर लिया गया है। इस संबंध में केविसं द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं।

*****